adda 247 publications

ऐस बैंकिंग एवं स्टेटिक अवेयरनेस

बैंकिंग परीक्षाओं हेतु सामान्य जागरूकता के लिए सम्पूर्ण पुस्तक

एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, नाबार्ड एवं अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी

द्वितीय संस्करण

इस संस्करण में शामिल

- फाइनेंस एवं बैंकिंग की अवधारणा
- डिजिटल बैंकिंग
- स्टेटिक जीके
- आईबीपीएस पीओ/क्लर्क, आरआरबी पीओ/क्लर्क मेंस 2018 मेमोरी बेस्ड पेपर

bankersadda.com
A Unit of Adda247

sscadda.com
A Unit of Adda247

VIDEO COURSES

for Government Exams

Video Course are available in

ONLINE STREAMING

MICRO SD CARD

ANDROID TAB (SD Card Included)

Banking Courses

- IBPS PO Pre
- IBPS PO Complete Kit
- RRB Mains Complete Kit
- IBPS PO: Quantitative Aptitude
- IBPS RRB Pre - Quant + Reasoning
- IBPS PO Pre + Mains

SSC Courses

- Maths for SSC CGL Mains
- English + Maths for SSC CGL Mains
- English for SSC CGL Mains
- IB ACIO (Tier I) + SSC Complete KIT

Compliment your classroom with Banking Video Courses

visit: videocourses.adda247.com

Study on the GO with the Adda247 App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

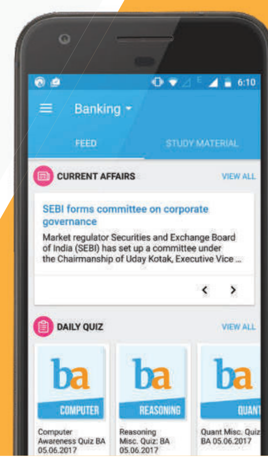

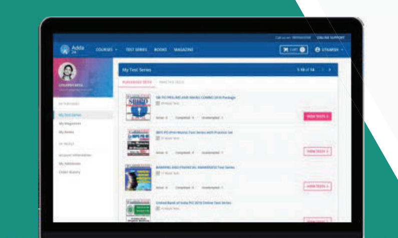

ONLINE TEST PROGRAM

adda247

- Time-Bound Tests
- Detailed Solutions
- Based on Latest Pattern
- Detailed Test Analysis
- All India Ranking
- Video Solutions

Boost your preparation with Adda247 Online Test Series

visit: store.adda247.com

bankersadda.com A Unit of Adda247

adda247

sscadda.com A Unit of Adda247

बैंकिंग अवेयरनेस एवं स्टेटिक अवेयरनेस की सम्पूर्ण पुस्तक

<u>प्राक्कथन</u>

यदि आप बैंकिंग और इंश्योरेन्श की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप जीए सेक्शन में स्कोर करना चाहते है तो आपमे बैंकिंग और स्टेटिक जनरल अवेयरनेस का ज्ञान महत्वपूर्ण है। बैंकिंग और स्टेटिक जीके न केवल जनरल अवेयरनेस सेक्शन का एक हिस्सा हैं, बल्कि यह साक्षात्कार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं, जहां पैनल आपसे बैंकिंग उद्योग से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों के बारे में आपको पता है यह उम्मीद करेंगे।

परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन के साथ, अड्डा247 ने अपने पाठकों को बैंकिंग, इंश्योरेन्श और अन्य परीक्षाओं के लिए नवीनतम पैटर्न आधारित सामग्री प्रदान करने के लिए अपने अध्ययन और अभ्यास सामग्री को विकसित किया है। बैंकिंग और स्टेटिक जीके को तैयार करने में आपकी मदद करने के लिए, अड्डा247 पब्लिकेशन आपके लिए "बैंकिंग और स्टेटिक जनरल अवेयरनेस पर एक संपूर्ण पुस्तक" लेकर आया है, जो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी, एनआईएसीएल, एनआईसीएल, आरबीआई ग्रेड बी, परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।

इस पुस्तक में बैंकिंग और इसके इतिहास, आरबीआई और इसके कार्यों से लेकर मौद्रिक नीति समिति, एनपीए, आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट तक सभी पक्षों को कवर किया गया है। स्टेटिक जीके की तैयारी के लिए आपको सरकारी योजनाओं, राष्ट्रीय उद्यानों, लोक नृत्यों, नदी तटों पर स्थित शहर, बांधों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों, बिजली संयंत्रों और बहुत कुछ की सूचियों को ध्यान रखकर शामिल किया गया है। अभ्यास के लिए विशेष ऐड के रूप में, इस पुस्तक में आईबीपीएस पीओ मेन्स 2018, आईबीपीएस क्लर्क मेन्स 2018, आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेन्स 2018, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेन्स 2018 में पूछे गए स्मृति आधारित प्रश्न भी शामिल किये गए हैं।

हमें उम्मीद है कि हमारे पाठक हमारे प्रयासों और इस पुस्तक की सराहना करेंगे। आगे सुधार के लिए किसी भी टिप्पणी या सुझाव का सहृदय स्वागत है।

टीम अड्डा247

विषय सूचि

बैंकिंग अवेयरनेस

अध्याय 01: बैंकिंग और इसका इतिहास क्या है? 07
अध्याय 02: भारत में बैंकिंग के प्रकार 09
अध्याय 03: आरबीआई एवं इसके कार्य 12
अध्याय 04: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति 15
अध्याय 05: भारतीय बैंकिंग के विकास के विभिन्न चरण 17
अध्याय 06: बैंकों का राष्ट्रीयकरण 20
अध्याय 07: भारत में वित्तीय बाजार 22
अध्याय 08: भारत में वित्तीय संगठन 28
अध्याय 09: भारत में एनबीएफसी 33
अध्याय 10: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में सुधार के लिए 'इन्द्रधनुष' योजना 37
अध्याय 11: बेसल मानकों से संबंधित सभी तथ्य 40
अध्याय 12: परक्राम्य लिखत 42
अध्याय 13: मुद्रा के प्रकार 44
अध्याय 14: भारत में बैंकों के प्रकार 46
अध्याय 15: मुद्रा बैंक 48
अध्याय 16: लघु वित्त बैंक 51
अध्याय 17: भारत में भुगतान बैंक 53
अध्याय 18: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि 55
अध्याय 19: भारत में एटीएम 57
अध्याय 20: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देना 59
अध्याय 21: डीआईसीजीसी 64
अध्याय 22: वित्तीय समावेशन और संबंधित योजनाएं 66
अध्याय 23: बैंक बोर्ड ब्यूरो 70
अध्याय 24: मौद्रिक नीति समिति 72
अध्याय 25: भारतीय बैंक संघ (IBA) 73
अध्याय 26: NPCI एवं इसके उत्पाद 75
अध्याय 27: बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण समितियाँ 82
अध्याय 28: विश्व बैंक-आईएमएफ-आईडीए-एडीबी -एनडीबी-एआईआईबी 83
अध्याय 29: सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के मुख्यालय और टैगलाइन 87
अध्याय 30: एनपीए और सरफेसी अधिनियम 88
अध्याय 31: शेयर और डिबेंचर 91
अध्याय 32: बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग होने वाले विविध शब्द 93

adda247

अध्याय 33: म्यूचुअल फंड्स (Mutual Funds) 101
अध्याय 34: सरकार की वित्तीय योजनाएं 104
अध्याय 35: बैंकिंग और एनबीएफसी लोकपाल 106
अध्याय 36: चेक एवं इसके प्रकार 108
अध्याय 37: वित्तीय संक्षिप्त शब्द 111
अध्याय 38: भारत में मुद्रा प्रणाली 116
अध्याय 39: बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम 123

स्टेटिक अवेयरनेस

अध्याय 01: वर्तमान कैबिनेट मंत्रियों से संबंधित. 126
अध्याय 02: भारतीय राज्य एवं इनकी राजधानियां 130
अध्याय 03: भारतीय राज्यों के वर्तमान मुख्यमंत्री 132
अध्याय 04: भारतीय राज्यों के वर्तमान राज्यपाल. 133
अध्याय 05: सरकारी योजनाओं की सूची 134
अध्याय 06: भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची 140
अध्याय 07: भारत में वन्यजीव अभयारण्य 145
अध्याय 08: भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 158
अध्याय 09: बैंकिंग एवं फिनांस संक्षिप्त शब्द 161
अध्याय 10: नदियों पर स्थित भारतीय शहर 172
अध्याय 11: भारतीय राज्य तथा उनके लोक नृत्य 176
अध्याय 12: भारत में स्थित बांध 182
अध्याय 13: पुरस्कार एवं सम्मान 185
अध्याय 14: भारतीय सेना के युद्धाभ्यासों की सूची 189
अध्याय 15: भारत में त्यौहार 191
अध्याय 16: भारत में प्रथम (पुरुष) 195
अध्याय 17: भारत में प्रथम (महिला) 197
अध्याय 18: विश्व में सबसे बड़े | सबसे लम्बे | सबसे ऊंचे की सूची 198
अध्याय 19: भारत में सबसे लम्बे | सबसे बड़े | सबसे ऊंचे की सूची 200
अध्याय 20: भारत में संगठन 202
अध्याय 21: भारत में जल-विद्युत परियोजना 205
अध्याय 22: भारत में तापीय ऊर्जा संयत्र 206
अध्याय 23: भारत में परमाणु ऊर्जा संयत्र 209
अध्याय 24: भारत के अनुसंधान केंद्र 210
अध्याय 25: भारत में परमाणु एवं अंतरिक्ष अनुसन्धान केंद्र 212
अध्याय 26: भारत में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अनुसन्धान केंद्र 213
अध्याय 27: भारत में सौर ऊर्जा संयत्र 214
अध्याय 28: भारत में स्टेडियम 215

adda247

अध्याय 29: विश्व के स्टेडियम 217
अध्याय 30: भारत में बंदरगाह 220
अध्याय 31: भारत के विश्व धरोहर स्थल (यूनेस्को की सूची में शामिल) 221
अध्याय 32: विश्व की ख़ुफ़िया एजेंसियां 223
अध्याय 33: अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे 224
अध्याय 34: अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ 227
अध्याय 35: विभिन्न देशों की राजधानियाँ और मुद्राएँ 228
अध्याय 36: अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 233
अध्याय 37: विश्व में मनाये जाने वाले महत्त्वपूर्ण दिवस 234
अध्याय 38: महत्वपूर्ण वित्तीय, अर्थशास्त्र और बजट की शर्तें 238
अध्याय 39: खेल शब्दावली........ 240

आईबीपीएस पीओ/क्लर्क, आरआरबी पीओ/क्लर्क मेन्स 2018 में पूछे गए सामान्य जागरूकता के प्रश्न

1. आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेन्स 2018 (मेमोरी बेस्ड) 257
2. आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेन्स 2018 (मेमोरी बेस्ड) 262
3. आईबीपीएस पीओ मेन्स 2018 (मेमोरी बेस्ड) 269
4. आईबीपीएस क्लर्क मेन्स 2018 (मेमोरी बेस्ड) 275

बैंकिंग अवेयरनेस

अध्याय 1 — बैंकिंग और इसका इतिहास क्या है?

- बैंकिंग को आमजनता और संस्थाओं से जमा स्वीकारने की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, और फिर उस पैसे को लाभ अर्जित करने के लिए उधार दिया जाता है।
- अब बैंकिंग में केवल जमा और ऋण ही शामिल नहीं है लेकिन इसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने जैसी सेवाएँ, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा प्रदान करना, लोकर्स, एटीएम सेवाएँ और देश/दुनिया भर में ऑनलाइन धनराशि का स्थानान्तरण भी शामिल है।
- बैंक एक वित्तीय संस्था है जो बैंकिंग कार्य करता है जैसे जमा स्वीकार करता है और लाभ अर्जित करने हेतु धन उधार देता है।
- कोई कम्पनी, जो ऊपर परिभाषित बैंकिंग के व्यवसाय का लेन-देन करती है उसे बैंकिंग कम्पनी कहा जाता है।

प्रस्तावना

- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार (RBI), भारत का बैंकिंग क्षेत्र पर्याप्त रूप से पूंजीकृत और अच्छी तरह से विनियमित है।
- भारतीय बैंकिंग उद्योग ने हाल ही में भुगतान बैंक और लघु वित्तीय बैंक के जैसे नये बैंकिंग मॉडल जो देखा है। आरबीआई के नए उपाय घरेलू बैंकिंग उद्योग के पुनर्गठन में सहायता करने में लम्बा समय ले सकते हैं।
- 25 देशों में से भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली सबसे अधिक विकसित हुई है, जिसमें भारत की तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) एकमात्र प्रणाली है जो फास्टर पेमेंट्स इनोवेशन इंडेक्स (FPII) में 5 वें स्तर पर है।

बाज़ार का आकार

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बैंकिंग व्यवस्था परिसम्पत्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक भाग को नियंत्रित करते हैं, इस तरह अपने निजी बैंकों के लिए तुलनात्मक रूप से छोटा भाग ही रह जाता है। बैंक अपने ग्राहकों को मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए उनके वित्त को प्रबंध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
- चूँकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिक सुविधाएं देता है जैसे कि वॉलेट्स और बैंक खातों के बीच असीमित फंड ट्रांसफर, जिससे मोबाइल वॉलेट्स को वित्तीय व्यवस्था में मजबूत बनने की उम्मीद है।

भारत में बैंकिग क्षेत्र का इतिहास

- संयुक्त पूंजी प्रकार का पहला बैंक, बैंक ऑफ़ बॉम्बे, बॉम्बे में 1720 में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1770 में एक एजेंसी हाउस द्वारा कलकत्ता में बैंक ऑफ़ हिन्दुस्तान स्थापित किया गया।
- गवर्नर (बाद में गवर्नर जनरल) वारेन हेस्टिंग्स के एक प्रस्ताव के बाद 1773 में बंगाल और बिहार का जनरल बैंक अस्तित्व में आया, जो एक अल्पकालिक प्रयोग साबित हुआ।
- पहला प्रेसीडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल 50 लाख की पूंजी के साथ 2 जून 1806 को कलकत्ता में स्थापित किया गया। बैंक को 1823 में नोट जारी करने की शक्तियां दी गईं।
- दूसरा प्रेसीडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में 52 लाख रुपये की पूंजी के साथ स्थापित किया गया था, और बैंक ऑफ़ मद्रास जुलाई 1843 में 30 लाख रुपये की पूंजी के साथ स्थापित तीसरा प्रेसीडेंसी बैंक था।
- बैंक ऑफ बॉम्बे के पतन के साथ, जनवरी 1868 में न्यू बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई।
- 1876 में अस्तित्व में आया प्रेसीडेंसी बैंक अधिनियम, तीन प्रेसीडेंसी बैंकों को एक सामान्य क़ानून के तहत लाया और उनके व्यवसाय पर कुछ प्रतिबंध लगाए।
- पहला भारतीय स्वामित्व वाला बैंक 1865 में इलाहाबाद में स्थापित इलाहाबाद बैंक था, दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1895 में लाहौर में की गई थी, और तीसरा, बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1906 में मुंबई में की गई थी। इन सभी बैंकों की स्थापना निजी स्वामित्व के तहत की गई थी।
- 1906 के स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वामित्व के संयुक्त पूंजी बैंकों और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ मैसूर जैसे कई और भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को 1906 और 1913 के बीच स्थापित किया।
- स्वर्गीय श्री विट्ठल एल केवेटकर ने 1889 में तत्कालीन रियासत स्टेट ऑफ बड़ौदा में शहरी सहकारी ऋण आंदोलन का नेतृत्व किया।

- पहली पंजीकृत शहरी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी में कोंजीवरम में आयोजित कोंजीवरम शहरी को-ऑपरेटिव बैंक थी।

  नोट: वे प्रेसीडेंसी बैंकों के रूप में जाने जाते थे क्योंकि वे तीन प्रेसीडेंसी में स्थापित किए गए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए देश में प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की इकाइयाँ थीं। प्रेसिडेंसी बैंक रॉयल चार्टर्स द्वारा शासित थे। प्रेसिडेंसी बैंकों ने कागजी मुद्रा अधिनियम, 1861 के अधिनियमित होने तक मुद्रा नोट जारी किए, जब प्रेसीडेंसी बैंकों द्वारा मुद्रा नोट जारी करने का यह अधिकार समाप्त कर दिया गया और उस कार्य को सरकार को सौंप दिया गया।

- 1921 में प्रेसीडेंसी बैंकों को एक एकल बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया था। इसने आरबीआई की स्थापना से पहले केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य किया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार के तीन कार्यों, अर्थात व्यावसायिक बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग और सरकार के बैंकर के रूप में कार्य किया।
- 1930 तक, वाणिज्यिक बैंकों की संख्या बढ़कर 107 हो गई लेकिन अभी भी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया हावी थी।
- 1929 में भारतीय बैंकिंग की समस्याओं का बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जाँच समिति की स्थापना की गई, जिसमें पाया गया कि देश के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। बैंकों की विफलता और कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के दो प्रमुख कारण थे। 1935 में बैंकिंग क्षेत्र रिजर्व बैंक के दायरे में आया।

- इसलिए, सरकार ने, पहले ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में "बड़े पैमाने पर बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार, एवं अन्य विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए" इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के प्रयोग को लागू किया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधिनियमन के साथ 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में बदल दिया गया।

adda247

अध्याय 2	# भारत में बैंकिंग के प्रकार

बैंकिंग के विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं:

1. पेरा बैंकिंग
2. नैरो बैंकिंग
3. ऑफशोर बैंकिंग
4. ग्रीन बैंकिंग
5. रिटेल बैंकिंग
6. होलसेल बैंकिंग
7. यूनिवर्सल बैंकिंग
8. इस्लामिक बैंकिंग
9. मर्चेंट बैंकिंग

पेरा बैंकिंग

बैंक, विभागीय रूप से या सहायक कंपनियों की स्थापना के द्वारा कुछ निश्चित पात्र वित्तीय सेवाओं, अर्थात् पैरा-बैंकिंग गतिविधियों को आरंभ कर सकते हैं। बैंक आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के साथ, व्यवसाय के प्रकार शुरू करने के लिए एक सहायक कंपनी बना सकते हैं, जो कि किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा शुरू करने की अनुमति से अन्यथा हैं।

सहायक कम्पनियां/विभिन्न पेरा-बैंकिंग गतिविधियाँ

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (1) के प्रावधानों के तहत, बैंक बैंकिंग व्यवसाय के प्रकारों को आरंभ करने के लिए सहायक कंपनियां बना सकते हैं। एक सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए एक बैंक को आरबीआई की पूर्व स्वीकृति लेनी होती है।

- बैंक उपकरण पट्टे पर देने, किराया-खरीद व्यवसाय शुरू करने और फैक्टरिंग सेवाओं को शुरू करने के लिए सहायक कंपनियाँ बना सकते हैं।
- बैंक स्वयं भी उपकरण पट्टे पर देने, किराया-खरीद व्यवसाय शुरू करने एवं फैक्टरिंग सेवाओं को आरंभ सकते हैं।
- म्यूचुअल फंड व्यवसाय।
- क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट/डेबिट कार्ड व्यवसाय।
- मनी मार्केट म्युचुअल फंड (MMMFs): आरबीआई से अनुमोदन के बाद बैंक इसे स्थापित कर सकते हैं।
- बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश।
- कॉर्पोरेट शेयरों और ऋण-पत्रों का निम्नांकन।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांड का निम्नांकन।
- आरबीआई ने देखा कि कुछ बैंक/ उनकी सहायक कंपनियां 'सेफ्टी नेट' स्कीम के नाम से खरीद-वापसी सुविधाएं प्रदान कर रहे थे। ऐसी योजनाओं के तहत, प्रचलित बाजार मूल्य के बावजूद जारी करते समय निर्धारित किये गए मूल्य पर, निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी समय मूल निवेशकों से संबंधित प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए प्रतिबद्धताओं के माध्यम से बड़े जोखिम होते हैं।

नैरो बैंकिंग

- नैरो बैंक सुरक्षित बैंक हैं। उधार न देकर, और सरकारी बॉन्ड खरीदने के लिए अपनी जमा राशि का उपयोग करके, वे वस्तुतः कोई क्रेडिट जोखिम नहीं उठाते हैं। अनर्जक ऋण और इक्विटी पूंजी के लगातार इंजेक्शन का कोई खतरा नहीं होता है, जो करदाताओं द्वारा वित्त पोषित किया जाना हो।
- नैरो बैंकिंग; अर्थात वे बैंक जो केवल जोखिम रहित प्रतिभूतियों में धन रखते हैं। इसके पीछे मुख्य सोच यह है कि चूंकि उनका निवेश मुख्य रूप से जोखिम रहित प्रतिभूतियों में है, इसलिए वे असफल नहीं होंगे।
- तारपोर समिति ने कमजोर बैंकों को नैरो बैंकों में बदलने की सिफारिश की। समिति ने प्रस्ताव दिया है कि इन नैरो बैंकों के वृद्धिशील संसाधनों को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश तक सीमित रखा जाना चाहिए।

ऑफशोर बैंकिंग

- 'ऑफशोर बैंकिंग' का अर्थ है, भारत में बैंक की एक शाखा जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 के 10) की धारा 23 के उप-खंड (1) के तहत जारी प्राधिकरण है।
- एक ऑफशोर बैंकिंग इकाई (OBU), वित्तीय सेवा इकाई है (आमतौर पर एक नॉन-रेजिडेंट बैंक की एक शाखा या सहायक कंपनी है), जो नॉन-रेजिडेंट उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। भारत में, ये विशेष आर्थिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों को विदेशी बैंकों से, कुछ ऑनशोर बैंकों से, जो जमाओं की अनुमति देते हैं और अन्य ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों से जमा स्वीकार करने की अनुमति है तथा ओबीयू नॉन-रेजिडेंट कंपनियों को भी ऋण दे सकते हैं।
- वे खुदरा व्यापार नहीं करते हैं, लेकिन आम तौर पर होलसेल बैंकिंग सेवाएं- परियोजना वित्तपोषण, सिंडिकेटेड ऋण, अल्पकालिक और मध्यम अवधि के उपकरण, आदि प्रदान करते हैं।

ग्रीन बैंकिंग

- ग्रीन बैंकिंग की अवधारणा उभरी है और सतत विकास चिंताओं को दूर करने एवं पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है।
- ग्रीन बैंकिंग के दो आयाम हैं। एक, जिस तरह से बैंकिंग व्यवसाय किया जा रहा है- यह पेपरलेस है या नहीं, दूसरा आयाम यह है कि बैंक अपना पैसा कहां लगाता है। ग्रीन बैंकिंग पर्यावरण अनुकूल निवेश को प्रोत्साहित करने और उन उद्योगों को ऋण देने, जो पहले से ही ग्रीन हो चुके हैं या ग्रीन होने की कोशिश कर रहे हैं, के लिए बैंकों पर जोर डालती है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण के पुनःनिर्माण में मदद मिलती है।
- ग्रीन बैंकिंग आम तौर पर संदर्भित करती है कि बैंक कितना पर्यावरण अनुकूल है, तथा बैंक, ग्रीन और नैतिक नीतियों के लिए कैसे प्रतिबद्ध हैं।

  नोट: "ग्रीन बैंकिंग" को, उद्योगों को ग्रीन बनाने और प्राकृतिक पर्यावरण के पुनःनिर्माण के लिए बैंकों द्वारा वित्त की विधि के रूप में कहा जा सकता है। "ग्रीन बैंकिंग" की यह अवधारणा बैंकों, उद्योगों और अर्थव्यवस्था के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद होगी।

रिटेल बैंकिंग

- रिटेल बैंकिंग से तात्पर्य बैलेंस शीट की देनदारियों और परिसंपत्तियों दोनों पक्षों पर, व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ वाणिज्यिक बैंकों के लेनदेन से है।
- देनदारियों वाले पक्ष में निश्चित, चालू /बचत खाते; और परिसंपत्तियों वाले पक्ष में बंधक, ऋण (जैसे, व्यक्तिगत, आवास, ऑटो, और शैक्षणिक), बैंकों द्वारा पेश किए गए अधिक महत्वपूर्ण उत्पाद हैं।
- संबंधित अनुषंगी सेवाओं में क्रेडिट कार्ड, या डिपॉजिटरी सेवाएं शामिल हैं।
- रिटेल बैंकिंग क्षेत्र को तीन मूल विशेषताओं द्वारा वर्णित किया गया है:
  (a) विभिन्न उत्पाद (जमा, क्रेडिट कार्ड, बीमा, निवेश और प्रतिभूतियां);
  (b) वितरण के विभिन्न चैनल (कॉल सेंटर, शाखा, इंटरनेट और कियोस्क); तथा
  (c) विभिन्न ग्राहक समूह (उपभोक्ता, लघु व्यवसाय और कॉर्पोरेट)।

होलसेल बैंकिंग

- होलसेल बैंकिंग, व्यापारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के बीच बैंकिंग सेवाओं को संदर्भित करती है। इसमें बैंक बड़े क्लाइंट्स जैसे बड़े कॉरपोरेशन और अन्य बैंकों के साथ लेनदेन करते हैं।
- यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों, घरेलू व्यापार और प्रमुख-सार्वजनिक क्षेत्र सहित औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं, विशेषकर कॉर्पोरेट और ट्रेडिंग हाउस, के साथ बैंकिंग व्यवसाय करने को दर्शाती है।
- इसे कॉर्पोरेट बैंकिंग भी कहा जाता है।
- यह अन्य बैंकों, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और यहां तक कि सरकारी एजेंसियों को धन उधार देने या उसने धन का उधार लेने को दर्शाती है।
- यह कॉर्पोरेट, अर्थात कंपनियों, फर्मों, प्रोपराइटरशिप चिंताओं, सार्वजनिक क्षेत्र, संस्थानों, समाजों, ट्रस्टों और क्लबों पर केंद्रित है।

यूनिवर्सल बैंकिंग

- यूनिवर्सल बैंकिंग एक बहुउद्देश्यीय और बहुआयामी वित्तीय सुपरमार्केट है (एक कंपनी जो वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करती है, जैसे स्टॉक, बीमा और रियल-एस्टेट ब्रोकरेज), जो एक ही स्थान के माध्यम से बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है।
- विश्व बैंक के अनुसार, "यूनिवर्सल बैंकिंग में, बड़े बैंक शाखाओं का व्यापक नेटवर्क संचालित करते हैं, अलग-अलग सेवाएं प्रदान करते हैं, फर्मों पर कई दावे करते हैं (इक्विटी और ऋण सहित) और कंपनियों के कॉर्पोरेट प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, जो बैंकों पर धन के लिए या बीमा ग्राहक के रूप में भरोसा करती हैं"।
- यूनिवर्सल बैंकिंग, जो विकसित देशों में लोकप्रिय है, सभी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए वन-स्टॉप शॉपिंग प्रदान करती है। वाणिज्यिक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, विकास बैंकिंग और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला ग्राहक को एक ही छत के नीचे उपलब्ध होती है। बचत खाते, जमा प्रमाणपत्र, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड और ऋण जैसे निवेश उत्पाद ग्राहक की पहुंच के भीतर हैं।

इस्लामिक बैंकिंग

- इस्लामिक या शरिया बैंकिंग एक वित्त प्रणाली है जो ब्याज नहीं लेने के सिद्धांतों पर आधारित है, जो इस्लाम के तहत निषिद्ध है।
- इस्लामिक बैंकिंग शरीयत के अनुसार एक बैंकिंग प्रणाली है। इस्लाम में, धन का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, इसलिए धन को लाभ पर नहीं बेचा जा सकता है और इसे केवल शरीयत के अनुसार उपयोग करने की अनुमति है।
- इस्लामिक कानून या शरीयत विशिष्ट समयावधि के लिए धन (जिसे रीबा कहते हैं) को किराए पर देने के लिए किसी भी शुल्क पर प्रतिबंध लगाता है।

मर्चेंट बैंकिंग

- मर्चेंट बैंकिंग, बैंकिंग और कंसल्टेंसी सेवाओं का एक संयोजन है।
- यह वित्तीय, विपणन, प्रबंधकीय और कानूनी मामलों के लिए अपने ग्राहकों को परामर्श प्रदान करती है। परामर्श का अर्थ है शुल्क के लिए सलाह, मार्गदर्शन और सेवा प्रदान करना।
- भारत में वित्त मंत्रालय मर्चेंट बैंकर को निम्न व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है "कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समस्या प्रबंध के व्यवसाय में व्यस्त है, या तो बिक्री, खरीद के सन्दर्भ में व्यवस्थाएं करके या समस्या प्रबंध के ऐसे मुद्दे के सम्बन्ध में प्रबन्धक, परामर्शदाता, सलाहकार के रूप में प्रतिभूतियों को सबस्क्राइब करके।
- सामान्य तौर पर वाणिज्यक बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो कॉर्पोरेट हाउस को वित्तीय सेवाएँ, समाधान और सलाह प्रदान करते हैं।

अध्याय 3	आरबीआई एवं इसके कार्य

आरबीआई के गठन के बारे में सबकुछ

- आरबीई भारत का सेंट्रल बैंक है। इसे बैंकों के बैंक के रूप में भी जाना जाता है।
- आरबीआई के गठन की शुरूआत 1926 से मानी जा सकती है, जब भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन - जिसे हिल्टन-यंग कमीशन के रूप में भी जाना जाता है - ने सरकार से मुद्रा और ऋण के नियंत्रण को अलग करने हेतु भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक बनाने और पूरे देश में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने की सिफारिश की थी।
- 1934 के आरबीआई अधिनियम ने रिजर्व बैंक की स्थापना की और इसने 1935 में अपना कार्य आरम्भ किया।
- रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय आरम्भ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन स्थायी रूप से 1937 में मुंबई कर दिया गया था।
- निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में आरम्भ, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार की नीतियों और केंद्रीय बैंक की नीतियों के बीच समन्वय करना था।

भारतीय रिज़र्व बैंक का गठन

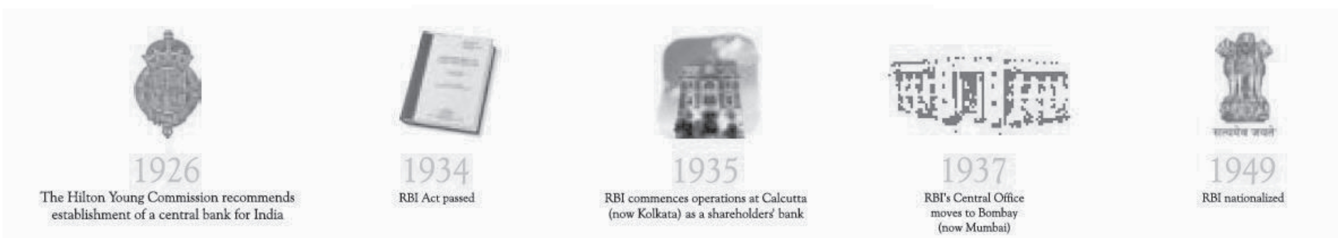

- **1926:** भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन ने भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश की।
- **1927:** उपरोक्त अनुशंसा को प्रभावी करने के लिए एक विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन बाद में लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सहमती की कमी के कारण इसे वापस ले लिया गया था।
- **1933:** भारतीय संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र ने रिज़र्व बैंक बनाने की सिफारिश की। विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया गया।
- **1934:** विधेयक पारित कर दिया गया और गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त कर ली गई।
- **1935:** भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल को निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में पाँच करोड़ रुपये (पचास करोड़ रुपये) की पूँजी के साथ भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य आरम्भ किया।
- **1942:** रिज़र्व बैंक ने बर्मा (अब म्यांमार) की मुद्रा जारी करने वाला प्राधिकारी बनना बंद कर दिया।
- **1947:** रिजर्व बैंक ने बर्मा सरकार के लिए बैंकर के रूप में काम करना बंद कर दिया।
- **1948:** रिज़र्व बैंक ने पाकिस्तान को केंद्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना बंद कर दिया।
- **1949:** भारत सरकार ने रिजर्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तांतरण) अधिनियम, 1948 के तहत रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

एक संगठन के रूप में आरबीआई

- केंद्रीय निदेशक मंडल रिज़र्व बैंक की संगठनात्मक संरचना में सबसे ऊपर है। ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- रिज़र्व बैंक का गवर्नर इसका मुख्य कार्यकारी होता है यह आरबीआई के मामलों व क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण और निर्देशन करता है। प्रबंधन टीम में डिप्टी-गवर्नर और कार्यकारी निदेशक भी शामिल होते हैं।
- केंद्र सरकार केंद्रीय बोर्ड में चौदह निदेशकों को नामित करती है, जिसमें चार स्थानीय बोर्डों से एक-एक निदेशक शामिल होते है। अन्य दस निदेशक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ये सभी नियुक्तियां चार साल की अवधि के लिए की जाती है।
- सरकार, सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक के रूप में एक सरकारी अधिकारी को भी नामित करती है, जो सामान्यता भारत सरकार का वित्त सचिव होता है और केंद्र सरकार के प्रसादपर्यंत बोर्ड में रहता है।
- रिज़र्व बैंक के गवर्नर और अधिकतम चार डिप्टी-गवर्नर भी केंद्रीय बोर्ड में पदेन निदेशक होते हैं।

आरबीआई की सहायक कंपनियां

आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाइयाँ इस प्रकार हैं:

a) डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (DICGC)
b) भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL)
c) नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB)

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर एक सार (DICGC)

- डिपाजिट **इंश्योरेंस** और क्रेडिट गारंटी के कार्यों को एकीकृत करने के उद्देश्य से, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया और 15 जुलाई, 1978 को वर्तमान डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) अस्तित्व में आया।
- यह DICGC अधिनियम 1961 के तहत स्थापित किया गया था।
- यह कुछ जमा को छोड़कर पात्र बैंकों के साथ सभी जमा (जैसे बचत, सावधि जमा, चालू खाता जमा और आवर्ती जमा) का बीमा कर्ता है जिसे हम DICGC से संबंधित अध्याय में अध्ययन करेंगे।

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)

NHB की स्थापना 9 जुलाई, 1988 को नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, 1987 के तहत की गई थी, जो रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में कार्य करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL)

- आरबीआई ने भारत में बैंक नोटों के उत्पादन को बढ़ाने और देश में आपूर्ति व बैंक नोटों की मांग के बीच अंतर को पाटने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में फरवरी 1995 में BRBNMPL की स्थापना की थी।
- इसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत बेंगलुरु स्थित अपने पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

वर्तमान पद धारक

शक्तिकान्त दास|गवर्नर
**श्री एन.एस. विश्वनाथन	डिप्टी गवर्नर**
**श्री बी.पी. कानूनगो	डिप्टी गवर्नर** **महेश कुमार जैन	डिप्टी गवर्नर**

RBI के कार्य

मुद्रा-प्राधिकारी

- मौद्रिक नीति का गठन, कार्यान्वयन और निगरानी करता है।
- उद्देश्य: विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखना।

वित्तीय प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक:

- बैंकिंग संचालन के व्यापक मापदंडों को निर्धारित करता है जिसके भीतर देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली कार्य करती है।
- उद्देश्य: व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और जनता को लागत प्रभावी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना।

विदेशी विनिमय का प्रबंधक

- विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 का प्रबंधन करता है।
- उद्देश्य: बाहरी व्यापार की सुविधा और भुगतान करना तथा भारत में विदेशी विनिमय बाजार के क्रमिक विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना।

मुद्रा जारी करनेवाला

- संचलन के लिए अनुपयुक्त मुद्रा और सिक्कों को ज़ारी करना और विनिमय करना और नष्ट करना।
- उद्देश्य: जनता को पर्याप्त मात्रा में करेंसी नोट और सिक्कों की आपूर्ति करना और अच्छी गुणवत्ता में देना।

RBI के अन्य कार्य

- साथ ही RBI राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए कई प्रकार रूप से प्रचार कार्य करता है।
- सरकार के लिए बैंकर: केंद्र और राज्य सरकारों के लिए व्यापार बैंकिंग का कार्य करता है; उनके बैंकर के रूप में भी काम करता है।
- बैंकों का बैंक: सभी अनुसूचित बैंकों के बैंकिंग खातों को बनाए रखता है।

BFS की मदद से RBI द्वारा वित्तीय पर्यवेक्षण क्या है?

आरबीआई, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS) के मार्गदर्शन में वित्तीय पर्यवेक्षण का कार्य करता है। यह नवंबर 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की एक समिति के रूप में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों सहित वित्तीय क्षेत्र की समेकित निगरानी करना है।

बोर्ड का गठन केंद्रीय बोर्ड के चार निदेशकों को दो साल के कार्यकाल के लिए सदस्य के रूप में किया जाता है और इसकी अध्यक्षता गवर्नर द्वारा की जाती है।

RBI से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

- इसके 27 क्षेत्रीय कार्यालय और 04 उप-कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश राज्य की राजधानियों में हैं।
- इसके पाँच प्रशिक्षण संस्थान हैं
  a) दो, अर्थात् कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया स्टाफ कॉलेज, रिज़र्व बैंक का हिस्सा हैं।
  b) अन्य स्वायत्त हैं, जैसे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च (IGIDR), इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (IDRBT) आदि।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित अधिनियम

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934
- सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1944/सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006
- सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन (अध्याय II)
- क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
- भुगतान और निपटान प्रणाली विनियम, 2008 और 2011 तक संशोधित और BPSS विनियम, 2008
- भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2015 - 2015 का नंबर 18
- फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011

adda247

अध्याय 4	भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति आरबीआई अधिनियम, 1934 में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में आरबीआई की नीति को संदर्भित करती है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति के लक्ष्य क्या हैं?

- मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।
- मई 2016 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 को संशोधित किया गया जिससे कि लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचे के कार्यान्वियन के लिए सांविधिक आधार प्रदान किया जा सके।
- संशोधित आरबीआई अधिनियम में रिज़र्व बैंक के परामर्श से प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान भी किया गया है।

मौद्रिक नीति ढांचा क्या है?

- मौद्रिक नीति ढांचे का लक्ष्य वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति और मुद्रा बाजार दरों को रेपो दर के आसपास संचालित करने के लिए चलनिधि स्थिति के उतार-चढ़ाव के आकलन के आधार पर नीति (रेपो) दर निर्धारित करना है।
- रेपो दर में परिवर्तन पूरी वित्तीय प्रणाली को मुद्रा बाजार के माध्यम से प्रेषित करता है, जो बदले में, कुल मांग को प्रभावित करता है - मुद्रास्फीति और विकास का एक प्रमुख निर्धारक।

मौद्रिक नीति प्रक्रिया

- संशोधित आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB में अधिकार प्राप्त छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का प्रावधान भी किया गया है जिसका गठन केंद्रीय सरकार द्वारा सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से किया जाएगा।
- तदनुसार, केंद्रीय सरकार ने सितंबर 2016 में एमपीसी का निम्नानुसार गठन किया :

  1. भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर – पदेन अध्यक्ष;
  2. मौद्रिक नीति का प्रभारी भारतीय रिज़र्व बैंक का डिप्टी गवर्नर, – पदेन सदस्य;
  3. केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिज़र्व बैंक का एक अधिकारी – पदेन सदस्य;
  4. श्री चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) – सदस्य;
  5. प्रोफेसर पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स – सदस्य और
  6. डॉ. रविन्द्र एच. ढोलकिया, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद – सदस्य

  नोट:
  - उपर्युक्त 4 से 6 पर संदर्भित सदस्य चार वर्ष की अवधि या अगला आदेश आने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेंगे।
  - एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करता है।
  - रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) मौद्रिक नीति तैयार करने में एमपीसी को सहायता करता है।
  - वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफआरएमओडी) मुख्य रूप से दैनिक चलनिधि प्रबंध परिचालनों के माध्यम से मौद्रिक नीति को परिचालित करता है।

मौद्रिक नीति निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु

संशोधित आरबीआई अधिनियम के तहत, मौद्रिक नीति निर्माण निम्नानुसार है:

- एमपीसी एक वर्ष में कम से कम चार बार बैठक आवश्यक है।
- एमपीसी की बैठक का कोरम चार सदस्यों का होता है।
- एमपीसी के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, और वोटों की समानता की स्थिति में, गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है।

मौद्रिक नीति की उपकरण (साधन) क्या हैं?

- मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

रेपो दर

- निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बैंकों को सरकार के संपार्श्विक के एवज और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के एवज में ओवरनाईट चलनिधि प्रदान करता है।

रिवर्स रेपो दर

निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के एवज, ओवरनाइट आधार पर, चलनिधि को अवशोषित करता है।

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ):

- आरबीआई की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) बैंकों को उनके दैनिक तरलता बेमेल को समायोजित करने में मदद करता है।
- इसके दो घटक हैं जो रेपो (पुनर्खरीद समझौते) और रिवर्स रेपो हैं।
- जब बैंकों को अपनी दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए तरलता की आवश्यकता होती है, तो वे आरबीआई से रेपो के माध्यम से उधार लेते हैं। जिस दर पर वे निधि उधार लेते हैं उसे 'रेपो दर' कहा जाता है। जब बैंक के पास निधियों के आधिक्य होता है, तो वे रिवर्स रेपो दर पर, रिवर्स रेपो तंत्र के माध्यम से आरबीआई को अपनी निधि उधार देते हैं।

सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)

- एक सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिज़र्व बैंक से ओवरनाईट मुद्रा की अतिरिक्त राशि को एक सीमा तक अपने सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में गिरावट कर ब्याज की दंडात्मक दर पर ले सकते हैं।
- यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता के संकट के खिलाफ सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है।

कॉरिडोर

- एमएसएफ दर और रिवर्स रेपो दर भारित औसत कॉल मनी दर में दैनिक संचलन के लिए कॉरिडोर को निर्धारित करते हैं।

बैंक दर

- यह वह दर है, जिस पर रिज़र्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने के लिए तैयार है। बैंक दर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 के तहत प्रकाशित की गई है।
- यह दर एमएसएफ दर से जुड़ी हुई है और इसलिए, स्वचालित रूप से परिवर्तित होती है जब एमएसएफ दर पॉलिसी रेपो रेट के साथ बदलती है।

नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर)

- निवल मांग और समय देयताओं की हिस्सेदारी जो बैंकों को रिज़र्व बैंक में नकदी शेष के रूप में रखनी होती है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर)

- निवल मांग और सावधि देयताओं की हिस्सेदारी जो बैंकों को अभारित सरकारी प्रतिभूतियों, नकदी और स्वर्ण जैसी सुरक्षित और चल आस्तियों में रखना होता है।
- एसएलआर में परिवर्तन अक्सर निजी क्षेत्र के लिए उधार देने के बैंकिंग प्रणाली में संसाधनों की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं।

खुला बाजार परिचालन (ओएमओ)

- इनमें सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद/बिक्री, टिकाऊ चलनिधि डालने/अवशोषित करना क्रमशः दोनों शामिल हैं।

बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस)

- मौद्रिक प्रबंधन के लिए इस उपकरण को 2004 में आरंभ किया गया। बड़े पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अधिक स्थायी प्रकृति के अधिशेष चलनिधि को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों की बिक्री के जरिये अवशोषित की जाती है।
- जुटाए जाने वाले नकदी को रिजर्व बैंक के पास एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है।

अध्याय 5 भारतीय बैंकिंग के विकास के विभिन्न चरण

- भारतीय बैंकिंग प्रणाली स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली से शुरू होती है जिसे मुख्य रूप से शराफा, सेठ, साहुकार, महाजन, चेट्टी आदि व्यवसायियों द्वारा चलाया जाता था। इसे विकसित नहीं किया जा सकता था क्योंकि वे जनता से जमा प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।
- भारत में आधुनिक बैंकिंग की उत्पत्ति 18 वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुई थी। प्रथम बैंकों में जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो 1786 में शुरू हुआ, तथा बैंक ऑफ हिंदुस्तान थे।
- इसके बाद, तीन प्रेसीडेंसी बैंकों अर्थात् बैंक ऑफ बंगाल (यह बैंक मूल रूप से वर्ष 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में शुरू किया गया था और फिर वर्ष 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बन गया), बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास स्थापित किए गए थे। इन तीन बैंकों को 1925 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए विलय कर दिया गया था।
- 1865 में स्थापित इलाहाबाद बैंक, भारत में सबसे पुराना अब तक चलने वाला संयुक्त स्टॉक बैंक है।
- पंजाब नेशनल बैंक, 1895 में लाहौर में स्थापित हुआ, जो अब भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है।
- भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर 1934 में आया था जब भारतीय रिजर्व बैंक 'की स्थापना का निर्णय लिया गया था जिसने 1935 में काम करना शुरू किया। तब से, देश के एक केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई, बैंकिंग प्रणाली को विनियमित कर रहा है।
- 1949 में, रिजर्व बैंक और सरकार की नीतियों के बीच घनिष्ठ एकीकरण करने के लिए, देश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया था।
- वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज को कारगर बनाने के लिए, भारत सरकार ने बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 को अधिनियमित किया जिसे बाद में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के रूप में बदल दिया गया। आरबीआई बैंकों के नियामक, सरकार तथा बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है।
- विशेष रूप से अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की सेवा करने के लिए, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके और इसके साथ एकीकरण करते हुए, राज्य-प्रायोजित और राज्य-प्रायोजित बैंक बनाने की सिफारिश की, जो पूर्व में राज्य -विख्यात या राज्य-सहयोगी बैंक थे। मई 1955 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया था और 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया था। बाद में, भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम 1959 में पारित किया गया, जिससे भारतीय स्टेट बैंक को आठ क्षेत्रीय बैंकों को अपने सहायक बैंकों (बाद में एसोसिएट्स नाम) के रूप में सक्षम बनाया गया।
- भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वर्ष 1969 में एक बड़ी क्रांति देखी, जब 19 जुलाई, 1969 को निजी क्षेत्र के 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनमें से ज्यादातर बैंकों की जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी।
- सन 1980 को निजी क्षेत्र के छ: और बैंक राष्ट्रीयकृत किये गये जिनकी जमा राशि 200 करोड़ से अधिक थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

- वर्ष 1975 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नामक बैंकों का एक नया समूह, सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली बैंकिंग सेवाओं के अलावा ग्रामीण आबादी की सेवा के लिए, श्री नरसिम्हम की अध्यक्षता वाले एक कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था।

निजी क्षेत्र के नए बैंक

- वर्ष 1991 में, नरसिम्हम समिति ने सिफारिश की कि बैंकों को परिचालन दक्षता बढ़ानी चाहिए, बैंकों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण को मजबूत करना चाहिए और नए खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सिफारिशों के आधार पर, नए निजी बैंकों को कामकाज शुरू करने की अनुमति दी गई।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र का इतिहास

- एक संयुक्त स्टॉक किस्म का पहला बैंक 'बैंक ऑफ बॉम्बे' था, जिसे 1720 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। इसके बाद 'बैंक ऑफ हिंदुस्तान' ने कलकत्ता में इसे स्थापित किया, जिसे 1770 में एक एजेंसी हाउस द्वारा स्थापित किया गया था।
- गवर्नर (बाद में गवर्नर जनरल) वारेन हेस्टिंग्स के एक प्रस्ताव के बाद, 1773 में बंगाल और बिहार का सामान्य बैंक अस्तित्व में आया, जो एक अल्पकालिक प्रयोग साबित हुआ।
- पहला प्रेसीडेंसी बैंक 'बैंक ऑफ बंगाल' था जिसकी स्थापना 'कलकत्ता में 2 जून, 1806 को 50 लाख की पूंजी के साथ की गई थी। बैंक को 1823 में नोट जारी करने की शक्तियां दी गईं।
- 'बैंक ऑफ बॉम्बे' दूसरा प्रेसीडेंसी बैंक था जिसकी स्थापना 1840 में, 52 लाख रु. की पूंजी के साथ की गई थी तथा तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक, 'बैंक ऑफ मद्रास' था जिसकी स्थापना जुलाई 1843 में, 30 लाख रुपये की पूंजी के साथ की गई थी।
- बैंक ऑफ बॉम्बे के पतन के साथ, जनवरी 1868 में 'न्यू बैंक ऑफ बॉम्बे' की स्थापना हुई।
- सन 1876 में अस्तित्व में आए प्रेसीडेंसी बैंक अधिनियम ने तीन प्रेसीडेंसी बैंकों को एक समान क़ानून के तहत लाया और उनके व्यवसाय पर कुछ प्रतिबंध लगाए।
- पहला भारतीय स्वामित्व वाला बैंक 'इलाहाबाद बैंक' था इसकी स्थापना सन 1865 में इलाहाबाद में की गई थी। दूसरा भारतीय स्वामित्व वाला बैंक 'पंजाब नेशनल बैंक' था इसकी स्थापना सन 1895 में लाहौर में की गई थी तथा तीसरा बैंक, 'बैंक ऑफ इंडिया' था इसकी स्थापना सन 1906 में मुंबई में की गई थी। इन सभी बैंकों की स्थापना निजी स्वामित्व के तहत की गई थी।
-
- 1906 के स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वामित्व के संयुक्त स्टॉक बैंकों तथा कई और भारतीय वाणिज्यिक बैंकों जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ मैसूर को 1906 और 1913 के बीच स्थापित किया।
- स्वर्गीय श्री विट्ठल एल केवेटकर ने वर्ष 1889 में तत्कालीन रियासत बड़ौदा में शहरी सहकारी ऋण आंदोलन का नेतृत्व किया था।
- पहले पंजीकृत शहरी सहकारी क्रेडिट सोसाइटी तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी में कोंजीवरम में आयोजित कोंजीवरम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक थी।

  नोट:
  - वे प्रेसीडेंसी बैंकों के रूप में जाने जाते थे क्योंकि वे तीन प्रेसीडेंसी में स्थापित किए गए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए देश में प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की इकाइयाँ थीं। प्रेसिडेंसी बैंक रॉयल चार्टर्स द्वारा शासित थे। प्रेसिडेंसी बैंकों ने कागजी मुद्रा अधिनियम, 1861 के अधिनियमित होने तक मुद्रा नोट जारी किए, जब प्रेसीडेंसी बैंकों द्वारा मुद्रा नोट जारी करने का यह अधिकार समाप्त कर दिया गया और उस कार्य को सरकार को सौंप दिया गया।
  - प्रेसीडेंसी बैंकों को सन 1921 में एक एकल बैंक, 'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया' में मिला दिया गया था। इसकी स्थापना आरबीआई से पहले केंद्रीय बैंक के रूप में भी हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार के तीन कार्यों, अर्थात व्यावसायिक बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग और सरकार के बैंकर का प्रदर्शन किया।
  - 1930 तक, इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ वाणिज्यिक बैंकों की संख्या बढ़कर 107 हो गई और अभी भी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर हावी है।
  - वर्ष 1929 में बड़े पैमाने पर भारतीय बैंकिंग की समस्याओं का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जाँच समिति की स्थापना की गई, जिसमें कहा गया कि देश के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए।
  - भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ने भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। बैंक की विफलताओं का मुद्दा और कृषि की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, रिजर्व बैंक की स्थापना के दो प्रमुख कारण थे। बैंकिंग क्षेत्र 1935 में रिजर्व बैंक के दायरे में आया।
  - इसलिए, सरकार ने "बड़े पैमाने पर बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और विविध अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए" के उद्देश्य से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण की कवायद को लागू किया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधिनियमन के साथ 1955 में 'भारतीय स्टेट बैंक' में बदल दिया गया।

1968 से बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख नियंत्रण / योजनाएं आरंभ की गई

वर्ष	प्रस्तुत किया गया सुधार
1962	भारत में बैंकों में छोटे जमाकर्ताओं की जमा राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, 1961 लागू किया गया था। डिपॉज़िट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया की स्थापना जनवरी 1962 में हुई थी।
1963	कृषि पुनर्वित्त निगम (ARC), 1 जुलाई 1963 के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त करना था।

1965 ऋण प्राधिकरण योजना (CAS) शुरू की गई थी, जिसके तहत वाणिज्यिक बैंकों को समय-समय पर संशोधित किए गए निर्धारित मानक से ऊपर किसी भी नई कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी देने के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

1968 आरबीआई और सरकार की सहायता के लिए योजना प्राथमिकताओं के अनुसार ऋण आवंटित करने के लिए फरवरी 1968 में राष्ट्रीय साख परिषद (NCC) की स्थापना की गई।

1969 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि वाले चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

1969 लीड बैंक स्कीम को पूरे देश में बड़े पैमाने पर जमा करने के लिए और कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए भी शुरू किया गया था।

1972 प्राथमिकता क्षेत्र की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए नवंबर 1974 में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए थे तथा नवंबर 1978 में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

1972 समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने और उनके उत्थान के लिए ब्याज की अंतर दर (DRI) योजना शुरू की गई।

1980 14 मार्च, 1980 को 200 करोड़ रुपये से अधिक की मांग और समय देयता वाले छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल, 1980 को किया गया था।

1994 वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS) की स्थापना आरबीआई के भीतर की गई थी, जो विशेष रूप से पर्यवेक्षी कार्यों में भाग लेने और बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी और अन्य पैरा-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों पर एकीकृत तरीके से प्रभावी पर्यवेक्षण प्रदान करता है।

1995 बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत शुरू की गई थी।

2006 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड (BCSBI) की स्थापना की गई थी ताकि सहमत मानकों और कोडों के अनुसार ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों के स्वैच्छिक पंजीकरण की व्यवस्था की जा सके।

भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति का रोडमैप फरवरी 2005 में तैयार किया गया था।

नवंबर 2005 में बैंकों को शून्य या कम न्यूनतम शेष राशि के साथ 'नो फ्रिल्स' खाते की सुविधा शुरू करने की सलाह दी गई थी।

बैंकों और वित्तीय संस्थान अधिनियम के कारण ऋणों की वसूली 1993 में अधिनियमित की गई थी, जो अधिकरण के स्थगन और गैर-निष्पादित ऋणों की वसूली के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए प्रदान की गई थी।

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज (SARFAESI) अधिनियम, 2002 को मार्च, 2002 में अधिनियमित किया गया था।

adda247

अध्याय 6	बैंकों का राष्ट्रीयकरण

- 1949 से पूर्व, भारत में सभी वाणिज्यिक बैंक विशेष रूप से निजी उद्यमियों द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित और प्रबंधित थे। रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक स्वामित्व का हस्तांतरण) अधिनियम, 1948 के पारित होने के साथ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया 1 जनवरी 1949 को आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के साथ शुरू हुई।
- स्वतंत्र भारत में मौद्रिक, आर्थिक और राजकोषीय नीतियों के अधिक समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया।

एसबीआई का राष्ट्रीयकरण

- वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहला कदम 1 अप्रैल 1955 को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के साथ शुरू हुआ।
- इसके बाद राज्यों से संबंधित 7 बैंकों का 1959 में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के रूप में राष्ट्रीयकरण किया गया।
- 7 सहयोगी बैंक थे- 'स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद', 'स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर', 'स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर', 'स्टेट बैंक ऑफ मैसूर', 'स्टेट बैंक ऑफ पटियाला', 'स्टेट बैंक ऑफ इंदौर' तथा 'स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र'।

1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण

19 जुलाई 1969 को, 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रु. से अधिक थी।

1. इलाहाबाद बैंक
2. बैंक ऑफ बड़ौदा
3. बैंक ऑफ इंडिया
4. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
5. केनरा बैंक
6. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
7. देना बैंक
8. इंडियन बैंक
9. इंडियन ओवरसीज बैंक
10. पंजाब नेशनल बैंक
11. सिंडीकेट बैंक
12. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
13. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
14. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (अब यूको बैंक के रूप में जाना जाता है)

1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण

15 अप्रैल 1980 को, 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपये से अधिक थी। वे बैंक थे:

1. आन्ध्रा बैंक
2. कॉर्पोरेशन बैंक
3. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
4. पंजाब एंड सिंध बैंक
5. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
6. विजया बैंक

नोट: न्यू बैंक ऑफ इंडिया का 1993 में पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया था :

महत्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रीयकरण के कारण, बैंकिंग क्षेत्र का प्रमुख भाग सरकार के नियंत्रण में आ गया।
- बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने असंगठित, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में शाखा विस्तार के लिए प्रमुख प्रेरणा प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में जमाव हुआ, जिससे अर्थव्यवस्था की समग्र बचत दर को बढ़ावा मिला।
- इसके परिणामस्वरूप कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्रों को ऋण देने में भी वृद्धि हुई।

राष्ट्रीयकरण के सम्भावित उद्देश्य क्या थे?

- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 जिसके तहत 19 जुलाई 1969 से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य "राष्ट्रीय नीति और उद्देश्यों के अनुरूप अर्थव्यवस्था के विकास की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करना और इससे जुड़े मामलों या आकस्मिक उपचार करना" था।
- इन उद्देश्यों में शामिल हैं:
- लोगों की बचत को सबसे बड़ी संभव सीमा तक पहुंचाना और उत्पादक उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करना।
- एक बड़े सामाजिक उद्देश्य के लिए बैंकिंग प्रणाली के संचालन को सुनिश्चित करना और उन्हें सार्वजनिक विनियमन को बंद करना।
- निजी क्षेत्र के उद्योग तथा लघु या वृहत व्यापार की वैध क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए।
- अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों और विशेषकर किसानों, छोटे पैमाने के उद्योगपतियों और स्वरोजगार वाले पेशेवर समूहों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए।
- देश के विभिन्न हिस्सों में उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्रों के लिए नए और प्रगतिशील उद्यमियों और ऋण के नए अवसरों की वृद्धि को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए।
- सट्टा और अन्य अनुत्पादक उद्देश्यों के लिए बैंक ऋण के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए;
- बैंक कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण और सेवा की उचित व्यवस्था प्रदान करना
- देश के सभी भागों में शाखा नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, और
- आर्थिक विकास में बैंकिंग और उसके माध्यम से क्षेत्रीय और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना।

भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय

- पांच सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का हिस्सा बन गए, जिसने देश के सबसे बड़े ऋणदाता को दुनिया के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल किया।
- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (SBBJ), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (SBH), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (SBM), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (SBP) तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (SBT) के अलावा भारतीय महिला बैंक (BMB), 1, 2017 अप्रैल से एसबीआई में विलय हो गया।
- विलय की गई इकाई के परिणामस्वरूप 26 लाख करोड़ रुपये से अधिक का जमा आधार और 18.50 लाख करोड़ रु. का अग्रिम स्तर था।
- विलय के बाद, बैंक अधिकतम पहुंच के लिए कुछ शाखाओं को स्थानांतरित करके अपने शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाएगा। इससे बैंक को अपने परिचालन का अनुकूलन करने और लाभप्रदता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

adda247

अध्याय 7	# भारत में वित्तीय बाजार

- किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली में विभिन्न मध्यस्थ (इंटरमेडिअरिज) शामिल होते हैं, जो अधिशेष खंड से धन की सोर्सिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐसे धन को जरूरतमंद खंड में लगाते हैं।
- मध्यस्थ संस्थाएँ बैंक, वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड आदि हैं।

मुद्रा बाजार

- मुद्रा बाजार अल्पकालिक वित्तीय अस्तियों के लिए एक बाजार है जो मुद्रा के निकटतम विकल्प हैं।
- मुद्रा बाजार उपकरणों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह तरल होता है और इसे कम लागत में शीघ्रता से मुद्रा में बदला जा सकता है।
- कॉल / नोटिस / टर्म मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार का एक महत्वपूर्ण भाग है।
- कॉल मनी के तहत, मुद्रा केवल एक दिन के लिये उधार दी जाती है तथा 'नोटिस मनी मार्केट' के तहत मुद्रा 2 दिन से 14 दिन के बीच की अवधि के लिए धन उधार ली अथवा दी जाती है तो उसे 'नोटिस मनी' कहा जाता है और टर्म मनी मार्केट के तहत, निधियों को 15 दिनों और 365 दिनों के बीच की अवधि के लिए धनराशि का लेन-देन किया जाता है
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), सहकारी बैंकों (भूमि विकास बैंकों के अलावा) और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) को उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों के रूप में, कॉल / नोटिस मनी मार्केट में भाग लेने की अनुमति है।

मुद्रा बाजार साधन(इंस्ट्रूमेंट्स) क्या हैं?

वाणिज्यिक पत्र

- वाणिज्यिक पत्र (CP) एक प्रतिभूति-रहित मुद्रा बाजार साधन है जिसे एक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है।
- वाणिज्यिक पत्र (CP), निजी रूप से रखे गए उपकरण के रूप में, 1990 में भारत में पेश किया गया था, जो कि उच्च श्रेणी के कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को अल्पकालिक उधारों के अपने स्रोतों में विविधता लाने और निवेशकों को एक अतिरिक्त साधन प्रदान करने के लिए सक्षम बनाता है।
- प्राथमिक डीलर (पीडी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एफआई) को भी वाणिज्यिक पत्र (CP) जारी करने की अनुमति दी गई ताकि वे अपनी अल्पकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

वाणिज्यिक पत्र कौन जारी कर सकता है?

- कंपनियों, प्राथमिक डीलर (पीडी) और वित्तीय संस्थानों (एफआई) को वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से अल्पकालिक संसाधन जुटाने की अनुमति है।
- एक कंपनी वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए पात्र होगी:
  a) नवीनतम ऑडिट की गई बैलेंस शीट के अनुसार जिस कंपनी की मूर्त निवल संपत्ति, 4 करोड़ रुपये से कम नहीं है;
  b) जिस कंपनी को बैंक / बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी दी गई है; तथा
  c) जिस कंपनी के उधार खाते को वित्तपोषण बैंक / संस्था द्वारा एक मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वाणिज्यिक पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुख्य बातें

- वाणिज्यिक पत्र एक वचन पत्र के रूप में जारी किया जाएगा।
- वाणिज्यिक पत्र को 5 लाख और उसके गुणक मूल्यवर्ग में जारी किया जाएगा।
- जारीकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार वाणिज्यिक पत्र को छूट पर जारी किया जाएगा।
- जारी होने की तिथि से न्यूनतम 7 दिनों और अधिकतम एक वर्ष के बीच परिपक्वता के लिए वाणिज्यिक पत्र जारी किया जाएगा।

जमा – प्रमाणपत्र (Certificate of Deposites)

- जमा– प्रमाणपत्र (सीडी) एक परक्राम्य मुद्रा बाजार साधन है और इसे निर्दिष्ट समय अवधि के लिए बैंक या अन्य पात्र वित्तीय संस्थान में जमा किए गए फंडों के खिलाफ एक असंगत रूप में या मीयादी वचनपत्र के रूप में जारी किया जाता है।

जमा– प्रमाणपत्र (सीडी) को कौन जारी कर सकता है?

- जमा– प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं-
  - a) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर}
  - b) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एफआई) का चयन करें, जिन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित छत्र सीमा के भीतर अल्पकालिक संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है।

जमा– प्रमाणपत्र (सीडी) से सम्बंधित महत्वपूर्ण मुख्य बातें

- एक **जमा– प्रमाणपत्र** की न्यूनतम राशि 1 लाख रु. होनी चाहिए और उसके बाद 1 लाख रुपये के गुणकों में होनी चाहिए।
- बैंकों द्वारा जारी जमा– प्रमाणपत्र की परिपक्वता अवधि 7 दिन से कम नहीं होनी चाहिए और जारी होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वित्तीय संस्थान 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए जमा– प्रमाणपत्र जारी नहीं कर सकते हैं तथा जारी करने की तारीख से 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी नहीं कर सकते हैं।
- जमा– प्रमाणपत्र अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किए जा सकते हैं।
- बैंक / वित्तीय संस्थान को केवल अभौतिक रूप में जमा– प्रमाणपत्र को जारी करनी चाहिए।

गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) एक वर्ष तक की मूल या प्रारंभिक परिपक्वता

- गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) का अर्थ है एक कॉर्पोरेट द्वारा जारी किया गया एक ऋण उपकरण (एनबीएफसी सहित) एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के साथ और निजी स्थानांतरण के माध्यम से जारी किया जाता है।
- "कॉर्पोरेट" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 (एनबीएफसी सहित) और किसी भी विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित निगम में परिभाषित कंपनी है।

गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करने की पात्रता

एक कॉर्पोरेट एनसीडी जारी करने के लिए पात्र होगा यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, अर्थात्।

- नवीनतम ऑडिट की गई बैलेंस शीट के अनुसार, कॉर्पोरेट के पास 4 करोड़ रुपये से कम मूल्य का एक मूर्त निवल मूल्य नहीं है;
- कॉर्पोरेट को बैंक या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान द्वारा कार्यशील पूंजी सीमा या सावधि ऋण स्वीकृत किया गया है; तथा
- कॉरपोरेट के उधार खाते को वित्त / बैंक या संस्थान द्वारा मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- जारी करने की तिथि से 90 दिनों से कम की परिपक्वताओं के लिए एनसीडी जारी नहीं किए जाएंगे।
- एनसीडी न्यूनतम 5 लाख रुपये (अंकित मूल्य) के मूल्यवर्ग और 1 लाख रुपये के गुणकों में जारी किए जा सकते हैं।

एक पंक्ति में महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

- "कॉल मनी" - 1 दिन के लिए निधियों का लेन-देन करना।
- **"नोटिस मनी"** का अर्थ है- 2 से 14 दिनों के लिए निधियों का लेन-देन करना।
- **"टर्म मनी"** का अर्थ है – 15 दिनों से 1 वर्ष के लिए निधियों का लेन-देन करना।
- **"प्राथमिक डीलर"** का अर्थ है - एक वित्तीय संस्थान जो रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राथमिक डीलर के रूप में प्राधिकरण का एक वैध पत्र रखता है।
- **'जारीकर्ता और भुगतान कर्ता एजेंट (IPA)'** का अर्थ है कि एक अनुसूचित बैंक IPA के रूप में कार्य करता है।
- **'सीआरए'** का अर्थ है कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत है।

सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) क्या है?

- यह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक व्यापार योग्य उपकरण है।
- यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है।
- इन प्रतिभूतियों को अल्पकालिक (आमतौर पर ट्रेजरी बिल कहा जाता है, एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ) या दीर्घकालिक (आमतौर पर एक वर्ष या अधिक की मूल परिपक्वता के साथ सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां कहा जाता है)।
- जी-सेक में व्यावहारिक रूप से डिफ़ॉल्ट (अप्राप्ति) का कोई जोखिम नहीं है और इसलिए ये जोखिम-मुक्त गिल्ट-धारित उपकरण कहलाते हैं।
- **नोट:** भारत में, केंद्र सरकार, ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (एसडीएल) कहा जाता है।

ट्रेजरी बिल (टी-बिल)

- ट्रेजरी बिल या टी-बिल, मनी मार्केट उपकरण हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अल्पावधि उधार (एक वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि वाले) के लिखत हैं, वर्तमान में तीन टेनर में ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन।
- ये शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं और इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है
- इन्हें एक छूट पर जारी किया जाता है और परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है

नकद प्रबंधन बिल (CMB)

- 2010 में, भारत सरकार ने RBI के परामर्श से एक नया अल्पकालिक उपकरण पेश किया, जिसे नकद प्रबंधन बिल (CMBs) के रूप में जाना जाता है, ताकि भारत सरकार के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को पूरा किया जा सके।
- सीएमबी, टी-बिल के सामान्य प्रकृति का है लेकिन यह 91 दिनों से कम की परिपक्वता के लिए जारी किया जाता है।

दिनांकित सरकारी प्रतिभूति (G-Secs)

- दिनांकित जी-सेक प्रतिभूति हैं जो एक निश्चित या फ्लोटिंग कूपन (ब्याज दर) लेती हैं, जिसका अर्ध-वार्षिक आधार पर अंकित मूल्य पर भुगतान किया जाता है।
- आमतौर पर, दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है।

  नोट:
  - भारतीय रिजर्व बैंक का सार्वजनिक ऋण कार्यालय (पीडीओ) जी-सेक की रजिस्ट्री / डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है और यह जारी करने, ब्याज भुगतान और परिपक्वता पर मूलधन के पुनर्भुगतान से संबंधित है।

सरकारी बांड के प्रकार क्या हैं?

- **निश्चित दर बॉन्ड :** ये ऐसे बॉन्ड हैं जिन पर बॉन्ड के संपूर्ण जीवन (यानी परिपक्वता तक) के लिए कूपन दर निर्धारित होती है।
- **अस्थिर दर बॉन्ड (एफआरबी):** एफआरबी ऐसी प्रतिभूतियां हैं जिनमें निश्चित कूपन दर नहीं है। एफआरबी को पहली बार भारत में सितंबर 1995 में जारी किया गया था।
- **शून्य कूपन बॉन्ड :** शून्य कूपन बॉन्ड बिना किसी कूपन भुगतान के बॉन्ड होते हैं।
- **पूंजी अनुक्रमित बांड:** ये बॉन्ड हैं, जिनमें से प्रमुख को मुद्रास्फीति से निवेशकों की मूल राशि की रक्षा करने की दृष्टि से मुद्रास्फीति के स्वीकृत सूचकांक से जोड़ा जाता है।
- **मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड (आईआईबी) :** आईआईबी ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनमें कूपन प्रवाह और मूल राशि दोनों को मुद्रास्फीति से बचाया जाता है। आईआईबी में उपयोग किया जाने वाला मुद्रास्फीति सूचकांक संपूर्ण बिक्री मूल्य सूचकांक (WPI) या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) हो सकता है।
- स्ट्रिप्स **(STRIPS) (पंजीकृत ब्याज और प्रतिभूतियों के मूलधन का पृथक व्यापार) :** स्ट्रिप्स एक नियमित जी-सेक से जुड़े नकदी प्रवाह को अलग करने के तरीके से बनाई गई प्रतिभूतियां हैं, जो प्रत्येक अर्ध-वार्षिक कूपन भुगतान और जारीकर्ता से प्राप्त होने वाले अंतिम प्रमुख भुगतान को अलग-अलग प्रतिभूतियों में मिलती हैं। वे अनिवार्य रूप से शून्य-कूपन बॉन्ड (ZCBs) हैं।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी)

- एसजीबी अद्वितीय उपकरण हैं, जिनकी कीमतें वस्तु की कीमत अर्थात गोल्ड से जुड़ी हुई हैं।
- 1 ग्राम की मूल इकाई के साथ सोने के ग्राम के गुणकों में एसजीबी को दर्शाया गया है।
- एसजीबी का कार्यकाल ब्याज भुगतान की तारीखों पर प्रयोग किए जाने के लिए 5 वें वर्ष से बाहर निकलने के विकल्प के साथ 8 साल की अवधि के लिए होता है।

सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

राज्य विकास ऋण (एसडीएल) क्या हैं?

- राज्य सरकारें बाजार से ऋण भी लेती हैं, जिन्हें एसडीएल कहा जाता है।
- एसडीएल केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए आयोजित नीलामी के समान सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी किए गए दिनांकित प्रतिभूतियां हैं।
- ब्याज अर्ध-वार्षिक अंतराल पर सेवित किया जाता है और मूल परिपक्वता तिथि पर चुकाया जाता है।

खुला बाजार परिचालन (ओपन मार्केट ऑपरेशंस) (ओएमओ) क्या है?

- खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) में रुपए की तरलता की स्थिति को टिकाऊ आधार पर समायोजित करने के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा जी / सेक की बिक्री / खरीद के माध्यम से आरबीआई द्वारा संचालित बाजार संचालन हैं।
- जब आरबीआई को लगता है कि बाजार में अतिरिक्त तरलता है, तो वह प्रतिभूतियों की बिक्री का समर्थन करता है, जिससे रुपये की तरलता कम हो जाती है।
- इसी तरह, जब तरलता की स्थिति तंग होती है, तो आरबीआई बाजार से प्रतिभूतियां खरीद सकता है, जिससे बाजार में तरलता बनी रहती है।

सरकारी प्रतिभूति की पुनर्खरीद (वापसी खरीद) से क्या तात्पर्य है?

- **सरकारी प्रतिभूति** की पुनर्खरीद (वापसी खरीद) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत भारत सरकार और राज्य सरकारें अपनी मौजूदा प्रतिभूतियों को समय से पहले भुनाकर, धारकों से वापस खरीद लेती हैं।
- पुनर्खरीद के उद्देश्यों में लागत में कमी (उच्च कूपन प्रतिभूतियों को वापस खरीदकर), बकाया प्रतिभूतियों की संख्या में कमी और जी-सेक्स बाजार में तरलता में सुधार (वापस अद्वितीय प्रतिभूतियों को खरीदकर) और प्रणाली में तरलता का निषेचन हो सकता है।

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) क्या है?

- एलएएफ एक सुविधा है जो आरबीआई द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और पीडी में तरलता का लाभ उठाने के एसडीएल सहित जी-सेक की जमानत के खिलाफ रातोंरात अतिरिक्त तरलता के मामले में अतिरिक्त धनराशि रखने करने के लिए उपलब्ध है। ।
- मूलतः एलएएफ दैनंदिन आधार पर तरलता प्रबंधन को सक्षम बनाता है।

सरकारी प्रतिभूति - में व्यापार कैसे होता है?

प्रतिभूतियों का कारोबार द्वितीयक बाजार में किया जा सकता है

(i) निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम)

(ii) ओवर द काउंटर (ओटीसी)

(iii) एनडीएस-ओएम वेब

एनडीएस-ओएम

- अगस्त, 2005 में, आरबीआई ने एनडीएस-ओएम नामक एक अनाम स्क्रीन आधारित ऑर्डर मैचिंग मॉड्यूल पेश किया।
- यह एक आदेश संचालित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है, जहां प्रतिभागी सिस्टम पर अपने आदेश रखकर या अन्य प्रतिभागियों के लिए पहले से ही रखे गए आदेशों को स्वीकार करके गुमनाम व्यापार कर सकते हैं।

ओवर द काउंटर (OTC) / टेलीफोन मार्केट

- इस बाजार में, एक प्रतिभागी, जो जी-सेक खरीदना या बेचना चाहता है, किसी बैंक / पीडी / वित्तीय संस्थान से सीधे या ब्रोकर के माध्यम से संपर्क कर सकता है और कीमत और सुरक्षा की मात्रा पर बातचीत कर सकता है।
- टेलीफोन पर इस तरह की बातचीत की जाती है और दोनों समकक्षों की राशि और दर पर सहमति होने पर सौदा हो सकता है।

एनडीएस-ओएम वेब

- आरबीआई ने अपने प्राथमिक सदस्यों (PM) के माध्यम से NDS-OM पर गिल्ट खाता धारकों (GAH) की प्रत्यक्ष भागीदारी की सुविधा के लिए 29 जून 2012 को एनडीएस-ओएम वेब लॉन्च किया है (केवल जोखिम नियंत्रक के रूप में तथा व्यापार के मूल्य निर्धारण में कोई भूमिका नहीं है) ।
- जीएएच के पास एनडीएस-ओएम के समान ऑर्डर बुक में प्राथमिक सदस्यों की पहुंच है।
- जीएएच अपने ऑर्डर (स्थान / संशोधित / रद्द / होल्ड / जारी करना) को नियंत्रित करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं और बाजार में वास्तविक समय गतिशील उद्धरण तक पहुंच रखते हैं।

सरकारी-प्रतिभूति बाजार में मुख्य खिलाड़ी कौन हैं?

- **सरकारी प्रतिभूति** बाजार में प्रमुख खिलाड़ियों में बीमा कंपनियों जैसे संस्थागत निवेशकों के अलावा वाणिज्यिक बैंक और पीडी शामिल हैं।
- अन्य प्रतिभागियों में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म्यूचुअल फंड, भविष्य निधि और पेंशन फंड शामिल हैं।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) को समय-समय पर निर्धारित मात्रात्मक सीमाओं के भीतर जी-सेक्स बाजार में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।
- कॉर्पोरेट्स अपने समग्र पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने के लिए जी-सेक को खरीदते / बेचते हैं।

क्लियरिंग कोर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (CCIL) की भूमिका

- CCIL जी-सेक के लिए क्लियरिंग एजेंसी है। यह दो प्रतिपक्षियों के बीच खुद को रोककर जी-सेक में सभी लेनदेन के लिए एक केंद्रीय काउंटर पार्टी (सीसीपी) के रूप में कार्य करता है।
- वास्तव में, निपटान के दौरान, सीसीपी वास्तविक लेनदेन में खरीदार के लिए विक्रेता बन जाता है और विक्रेता के लिए खरीददार बन जाता है।
- ओटीसी बाजार और एनडीएस-ओएम प्लेटफ़ॉर्म पर किए गए सभी एकमुश्त ट्रेडों को CCIL के माध्यम से साफ़ किया जाता है।

FIMMDA की भूमिका और कार्य क्या हैं?

- फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FIMMDA), अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, प्राथमिक व्यापारियों और बीमा कंपनियों के एक संघ को 3 जून, 1998 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।
- FIMMDA बांड, धन और डेरिवेटिव बाजार के लिए एक स्वैच्छिक बाजार निकाय है। FIMMDA में बाजार के सभी प्रमुख संस्थागत क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हैं।
- सदस्यता में भारतीय स्टेट बैंक, उसके सहयोगी बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल हैं; निजी क्षेत्र के बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक; विदेशी बैंक जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, वित्तीय संस्थान जैसे आईडीएफसी, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और सभी प्राथमिक व्यापारियों जैसी बीमा कंपनियां।
- FIMMDA बाजार सहभागियों का प्रतिनिधित्व करता है और बांड, धन और डेरिवेटिव बाजारों के विकास को सहायता प्रदान करता है।
- यह विभिन्न बाजारों पर नियामकों के साथ एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है जो इन बाजारों के कामकाज को प्रभावित करता है।
- यह विकासात्मक गतिविधियों का भी संचालन करता है, जैसे, बेंचमार्क दरों और नए डेरिवेटिव उपकरणों आदि की शुरुआत।

पूंजी बाजार क्या है?

- यह एक ऐसा बाजार है जहां निवेशक / खरीदार और प्रतिभूतियों / विक्रेताओं के जारीकर्ता शेयर, बांड आदि जैसे वित्तीय प्रतिभूतियों को जारी करने / सदस्यता / व्यापार में संलग्न होते हैं।
- इस बाजार में, दीर्घकालिक प्रतिभूतियों का कारोबार होता है।
- यह दो प्रकार के होते हैं जो प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार हैं।

प्राथमिक बाजार

- इस बाजार में, प्रतिभूतियों (शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड आदि) को पूंजी कोष जुटाने के लिए पहली बार सदस्यता के लिए जनता के लिए पेश किया जाता है।
- प्राथमिक बाजार में, जारी करना सार्वजनिक, अधिकार या अधिमान्य मुद्दों (निजी प्लेसमेंट के रूप में भी जाना जाता है) में वर्गीकृत किया जाता है।
- सार्वजनिक रूप से जारी करने को प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) और आगे / अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ) में वर्गीकृत किया जा सकता है।
  a) जब कोई कंपनी या तो शेयरों का एक ताजा निर्गमं बनाती है या अपने मौजूदा शेयरों की बिक्री या दोनों को पहली बार जनता के लिए पेश करती है, तो इसे आईपीओ कहा जाता है।
  b) जब एक कंपनी जो पहले से ही एक सूचीबद्ध कंपनी है, या तो जनता के लिए प्रतिभूतियों का एक ताजा निर्गमं बनाती है या एक प्रस्ताव दस्तावेज़ के माध्यम से जनता को बिक्री के लिए प्रस्ताव देती है, तो इसे एफपीओ के रूप में जाना जाता है।
- राइट्स इश्यू (आरआई) एक निर्गम है, जब एक सूचीबद्ध कंपनी अपने मौजूदा शेयरधारकों को एक रिकॉर्ड तिथि के अनुसार नई प्रतिभूतियां जारी करने का प्रस्ताव देती है।
- एक निजी प्लेसमेंट किसी कंपनी द्वारा शेयरों को जारी करने या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जारी करना है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 81 के प्रावधानों के तहत व्यक्तियों के एक समूह को चुनता है, जो न तो सार्वजनिक निर्गम है और न ही राइट्स इश्यू है।

द्वितीयक बाजार

- एक बार प्रतिभूतियों को प्राथमिक बाजार में जारी किया जाता है और / या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है, तो इनका कारोबार द्वितीयक बाजार नामक बाजार में किया जा सकता है।
- यह निवेशकों के लिए प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का एक मंच है।
- द्वितीयक बाजार एक ऐसे बाजार को संदर्भित करता है, जहां प्राथमिक बाजार में जनता को शुरू में पेशकश के बाद प्रतिभूतियों का व्यापार होता है और / या स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होता है।

पूंजी बाजार के साधन क्या हैं?

इक्विटी: अपने सामान्य और पसंदीदा स्टॉक के धारकों की कंपनी में स्वामित्व हित।
संचयी वरीयता शेयर: एक प्रकार का वरीयता शेयर, जिस पर लाभांश जमा रहता है, यदि वह अदत्त रहता है।
संचयी परिवर्तनीय वरीयता शेयर : एक प्रकार का वरीयता शेयर, जहां उसी पर देय लाभांश जमा होता है, यदि भुगतान नहीं किया जाता है।
डिबेंचर: बांड एक कंपनी द्वारा जारी किए गए ब्याज की एक निश्चित दर को वहन किए जाते हैं जो आमतौर पर विशिष्ट तिथियों पर देय होते हैं और डिबेंचर को भुनाने पर विशेष तिथि पर मूल राशि देय होती है।

एसटीटी क्या है?

- प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) एक कर है जो स्टॉक एक्सचेंजों पर दरों पर किए गए सभी लेनदेन पर लगाया जाता है।
- समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित।
- भारत सरकार ने प्रतिभूति लेनदेन कर नियम, 2004 को अधिसूचित किया और एसटीटी 1 अक्टूबर, 2004 से लागू हुआ।

अध्याय 8	भारत में वित्तीय संगठन

इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL)

- IIFCL, 2006 में स्थापित एक पूर्ण स्वामित्व वाली भारत सरकार की कंपनी है, जो विशेष रूप से इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) नामक एक विशेष प्रयोजन संवाहक के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, जिसे बड़े पैमाने पर SIFTI के रूप में जाना जाता है।
- IIFCL से वित्तीय सहायता के लिए पात्र क्षेत्रों में - परिवहन, ऊर्जा, जल, स्वच्छता, संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढाँचे शामिल हैं।
- 31 मार्च 2017 को कंपनी की अधिकृत और चुकता पूंजी क्रमशः 6,000 करोड़ र. और 4,002 करोड़ रु. थी।

IIFCL का वीजन

"भारत में विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए अभिनव वित्तपोषण समाधान प्रदान करना।"

IIFCL का मिशन

"बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और बुनियादी ढाँचे को विकसित करने में मुख्य दक्षताओं को विकसित करना। पेशेवर तरीके से और सभी हितधारकों की संतुष्टि के लिए सेवाओं को वितरित करने के लिए अत्यधिक व्यस्त कर्मचारियों की एक टीम का विकास करना।"

नोट: श्री पंकज जैन IIFCL के प्रबंध निदेशक हैं।

IIFC क्या करता है?

- यह देश में नीचे दिए गए क्षेत्रों में प्राथमिकता पीपीपी परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने में संलग्न है।
  a) सड़क और पुल, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, अंतर्देशीय जलमार्ग, शहरी परिवहन और अन्य परिवहन परियोजनाएं।
  b) बिजली (उत्पादन, पारेषण और वितरण)
  c) शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवेज संग्रह, उपचार और निपटान प्रणाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य भौतिक बुनियादी ढांचे।
  d) गैस पाइपलाइन
  e) शिक्षा संस्थान, अस्पताल, कन्वेंशन सेंटर, होटल, कोल्ड स्टोरेज चेन, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं।

भारतीय आयात-निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक)

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

- भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। 1982 में बैंक का परिचालन शुरू हुआ और विश्व की अन्य निर्यात ऋण एजेंसियों की भांति इसने एक शीर्ष निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में वित्त प्रदान करना प्रारंभ किया।
- यह उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है जिसमें प्रौद्योगिकी और निर्यात उत्पाद विकास, निर्यात उत्पादन, निर्यात विपणन, पूर्व-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट और विदेशी निवेश शामिल हैं।

वर्तमान चेयरमैन

- आर.सी. शाह 1982 - 1985 तक पहले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) थे।
- डेविड रस्किन्हा को अगस्त 2017 से एक्ज़िम बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था।
- देबाशिस मल्लिक उप प्रबंध निदेशक हैं।
- बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 12 निदेशक शामिल हैं, जिनमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल हैं।

एक्जिम बैंक के उद्देश्य

- निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
- देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगे संस्थानों के काम के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करना।
- सार्वजनिक हित के संबंध में व्यावसायिक सिद्धांतों पर अधिनियम।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

- सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रधान वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करने के साथ-साथ लगे हुए संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए कार्य किया।
- सिडबी एमएसएमई क्षेत्र के सतत विकास की दिशा में काम कर रहा है।
- इनमें इनोवैटिव क्रेडिट प्लस मॉडल शामिल है, जहां एमएसएमई को सलाह और सलाह सुविधाओं के साथ क्रेडिट पूरक है।
- सिडबी की कुछ अन्य क्रांतिकारी पहलों में भारत में MFI के नेतृत्व वाला माइक्रोफाइनेंस संचलन शामिल है, जिसने 100 से अधिक MFI का पोषण और सुदृढ़ीकरण किया है और MSME क्षेत्र के लिए ऊर्जा कुशल और टिकाऊ वित्त की संस्कृति की शुरुआत करते हुए SFB का निर्माण किया है।

सिडबी का मिशन

- MSME के क्रेडिट प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और मजबूत करने के लिए तथा MSME ईको-सिस्टम में वित्तीय और विकासात्मक अंतराल दोनों को संबोधित करना।

सिडबी का वीजन

- MSME क्षेत्र की वित्तीय और विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक एकल खिड़की के रूप में उभरना।
- SIDBI ब्रांड को पसंदीदा और ग्राहक-अनुकूल संस्थान के रूप में स्थान देने के लिए इसे मजबूत, जीवंत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।

नोट:

- मोहम्मद मुस्तफा सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं।
- अजय कुमार कपूर उप प्रबंध निदेशक हैं।
- मनोज मित्तल भी उप-प्रबंध निदेशक हैं।